न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 87/2021

1 सहीराम पुत्र लेखुराम जाति जाट निवासी नीतड़ो की ढ़ाणी नायावाली जोहड़ी तन भोड़की तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 सुलतान पुत्र झाबर।
2 मेघराज पुत्र कुरड़ाराम।
3 नाहरसिंह पुत्र कुरड़ाराम।
4 शीशराम पुत्र फुलचन्द।
5 महीपाल पुत्र फुलचन्द।
6 निमा देवी स्त्री फुलचन्द।
7 जगदीश प्रसाद पुत्र रामेश्वर।
8 रतन कोर स्त्री रामेश्वर।
9 सुभाषचन्द्र पुत्र रामेश्वर।
10 हरलाल पुत्र भगवाना।
11 फुलचन्द दत्तक पुत्र चिमना।
12 चन्दगीराम पुत्र नन्दाराम।
13 राजेन्द्र पुत्र नन्दाराम।
14 रोहिताश पुत्र नन्दाराम।
15 शीशराम पुत्र नन्दाराम।
16 चावली पुत्री नन्दाराम।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

17 छोटी पुत्री नन्दाराम।
18 मृतका भागोती पुत्री नन्दाराम।
18/1 संदीप पुत्र भागोती
18/2 सुमन पुत्री भागोली।
18/3 अनिता पुत्री भागोती।
18/4 सुनिता पुत्री भागोती।
18/5 संतोष पुत्री भागोती।
19 मन्जू पुत्री नन्दाराम।
20 सुभिता पुत्री नन्दाराम।
21 श्रीमती जड़ाई देवी पत्नी नन्दाराम।
22 मांगूराम पुत्र लेखु।
23 रामनाथ पुत्र लेखु।
24 केशरी देवी पत्नी हरलाल सिंह समस्त जाति जाट निवासीगण नीतड़ो की ढ़ाणी नायावाली जोहड़ी तन भोड़की तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
25 राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील खिलाफ निर्णय दिनांक 15.09.2021 बअदालत उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी मुकदमा उनवानी सुलतान बनाम मेघराज मुकदमा नम्बर 40/2020 अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पूनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री झाबरसिंह शेखावत, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 6.5.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 40/2020 में पारित निर्णय दिनांक 15.09.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन हाल खसरा नम्बर 848 रकबा 2.3350 हैक्टर, सरहद राजस्व ग्राम भोड़की तहत तहसील उदयपुरवाटी में स्थित है। जमीन हाल खसरा नम्बर 848 का रेस्पोडेन्ट नं. 1 सुलतान खातेदार है। रेस्पोडेन्ट नं. 1 सुलतान की जमीन हाल खसरा नम्बर 893 के उत्तर पश्चिमी कोने में से तथा खसरा नम्बर 896, 895, 894, 888, 887 की पूर्वी सीमा के सहारे सहारे तीन मीटर चौड़ाई के रास्ता बाबत अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया। रेस्पोडेन्ट नं. 1 के प्रार्थना पत्र को विचारण न्यायालय ने दिनांक 15.09.2021 को स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि मौजुदा प्रकरण में धारा 251 ए राजस्थान काश्त अधिनियम 1955 के प्रावधान लागू नहीं होते है। खसरा नम्बर 848 वाके ग्राम गढवालों का बास में आने जाने के लिए खसरा नम्बर 848 रकबा 4.28 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन चारागाह सरहद राजस्व ग्राम गढवालों का बास स्थित है। खसरा नम्बर 886 के उत्तर में खसरा नम्बर 901 स्थित है। खसरा नम्बर 901 वाके ग्राम गढ़वालो का बास के

भू-प्रबंन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

उत्तर दिशा में ग्राम गढवालों के बास से ग्राम गुढ़ा का कटानी रास्ता स्थित है। खसरा नम्बर 848 में रेस्पोडेन्ट नं. 1 सुलतान अपने ग्राम नितड़ों की ढाणी से खसरा नम्बर 901 में प्रवेश कर आगे चारागाह की भूमि खसरा नम्बर 886 में प्रवेश करके अपने खेत खसरा नम्बर 848 में आता जाता रहा है। भू–अभिलेख निरीक्षक ने दिनांक 10.09.2021 को मौका रिपोर्ट बनाई जिसकी मद संख्या 2 में लिखा है कि खसरा नम्बर 848 की पश्चिमी सीमा के सहारे ग्राम गढवालों का बास के खसरा नम्बर 886 गैर मुमकिन चारागाह की जमीन स्थित है। उक्त चारागाह भूमि में से रास्ता गुजरता है जो प्रार्थी सुलतान के खेत खसरा नम्बर 848 के चाहे गये रास्ते से न्यून दूरी पर स्थित है से दर्शाया गया है। धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के मुताबिक जहां किसी व्यक्ति के खेत में आने जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता हो उस सूरत में धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत दुसरे के खेत में से नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता। विचारण न्यायालय ने आलौच्य निर्णय में लिखा है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में गैरमुमकीन चारागाह की भूमि प्रतिबन्धित भूमि है। इस कारण चारागाह की भूमि में से रास्ता नहीं दिया जा सकता। विचारण न्यायालय ने आलौच्य निर्णय में उक्त तथ्य कानून के विरूद्ध अंकित किया है राजस्थान सरकार ने परिपत्र जारी कर सभी उपखण्ड अधिकारी के न्यायालयों को निर्देश जारी किया है कि धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत चारागाह की भूमि में से दुसरे के खेत में जाने के लिए 12 फुट से 30 फुट तक चौड़ाई का रास्ता दिया जा सकता है बशर्ते उस खातेदार को रास्ते में गई जमीन के क्षेत्रफल के बराबर जमीन चारागाह के लिए छोड़नी पड़ेगी। रेस्पोडेन्ट नं. 1 सुलतान का खेत खसरा नम्बर 848 चारागाह की भूमि से लगता ही है। इस कारण कानूनन खसरा नम्बर 886 में से खसरा नम्बर 848 वाके ग्राम भोड़की में आने जाने के लिए खसरा नम्बर 886 गढ़वालों के बास से आने जाने के लिए रास्ता दिया जा सकता है चाहे गये रास्ते की दुरी सुलतान के लिए ज्यादा है। विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट सहीराम द्वारा प्रस्तुत जवाबदेही को आलौच्य निर्णय पारित करने में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

नजर अंदाज किया है। खसरा नम्बर 848 में आने जाने के लिए चारागाह की भूमि में रास्ता मौजुद हैं उसके बावजूद भी नया रास्ता कायम करने का आदेश दिया गया है। विचारण न्यायालय ने वादी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार विधिक त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार कर विचारण न्यायलय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में अंकित बिन्दु ए से सी तक ग्राम भोड़की के भूमि खसरा नम्बर 848 में आवागमन के लिए रास्ता चाहा है। तहसीलदार उदयपुरवाटी से दिनांक 14.09.2021 को प्राप्त मौका जॉच रिपोर्ट के अवलोकन से साबित है कि प्रार्थी द्वारा भूमि खसरा नम्बर 848 में आवागमन हेतु संलग्न नजरी नक्शा में बिन्दु ए से सी तक चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य रास्ता न्यूनतम दुरी का मौजूद है, लेकिन उक्त कम दुरी का रास्ता चारागाह भूमि में से है जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार प्रतिबंधित भूमि है, इस कारण चारागाह भूमि में से रास्ता नहीं दिया जा सकता। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते को तहसीलदार उदयपुरवाटी ने मौका जॉच रिपोर्ट में लाल स्याही से दर्शाया है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया की पालना कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपील सारहीन है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 848 वाके ग्राम गढवालों का बास में आने जाने के लिए खसरा नम्बर 848 रकबा 4. 28 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन चारागाह सरहद राजस्व ग्राम गढवालों का बास स्थित है। खसरा नम्बर 886 के उत्तर में खसरा नम्बर 901 स्थित है। खसरा नम्बर 901 वाके ग्राम गढ़वालो का बास के उत्तर दिशा में ग्राम गढवालों के बास से ग्राम गुढ़ा का कटानी रास्ता स्थित है। खसरा नम्बर 848 में रेस्पोडेन्ट नं. 1 सुलतान अपने ग्राम नितड़ों की ढाणी से खसरा नम्बर 901 में प्रवेश कर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
... अपील अधिकारी

आगे चारागाह की भूमि खसरा नम्बर 886 में प्रवेश करके अपने खेत खसरा नम्बर 848 में आता जाता रहा है। भू–अभिलेख निरीक्षक ने दिनांक 10.09.2021 को मौका रिपोर्ट बनाई जिसकी मद संख्या 2 में लिखा है कि खसरा नम्बर 848 की पश्चिमी सीमा के सहारे ग्राम गढवालों का बास के खसरा नम्बर 886 गैर मुमकिन चारागाह की जमीन स्थित है। उक्त चारागाह भूमि में से रास्ता गुजरता है जो प्रार्थी सुलतान के खेत खसरा नम्बर 848 के चाहे गये रास्ते से न्यून दूरी पर स्थित है से दर्शाया गया है। धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के मुताबिक जहां किसी व्यक्ति के खेत में आने जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता हो उस सूरत में धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत दुसरे के खेत में से नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता। विचारण न्यायालय ने आलौच्य निर्णय में लिखा है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में गैरमुमकीन चारागाह की भूमि प्रतिबन्धित भूमि है। इस कारण चारागाह की भूमि में से रास्ता नहीं दिया जा सकता। विचारण न्यायालय ने आलौच्य निर्णय में उक्त तथ्य कानून के विरूद्ध अंकित किया है राजस्थान सरकार ने परिपत्र राजस्व ग्रुप–6 विभाग क्रमांकः प. 2(63) राज–9/2014 दिनांक 29.09.2014 में आदेशित किया है कि राज्य सरकार के यह ध्यान में आया है कि कुछ प्रकरणों में खातेदार को अपनी जोत तक पहुँचने के लिये कोई रास्ता नहीं है और खातेदार राजकीय (चारागाह) में से ही होकर अपनी जोत तक पहुँच सकता है। ऐसी स्थिति में खातेदार द्वारा अपनी जोत का संपरिवर्तन चाहे जाने पर उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में "चारागाह" दर्ज होने के कारण संपरिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ऐसे प्रकरणों में प्रार्थी द्वारा जितनी भूमि चारागाह में रास्ते हेतु चाही जा रही है, उतनी ही भूमि स्वयं की खातेदारी भूमि में से चारागाह में दर्ज किये जाने का आवेदन करने पर चारागाह भूमि के बदले समर्पण की जाने वाली भूमि को चारागाह रिकार्ड दर्ज किया जावें। इसकी एवज में राजकीय चारागाह भूमि जिसमें रास्ता चाहा गया है, कि भूमि में राजकीय रास्ता सार्वजनिक दर्ज किया जा सकता है। प्रार्थी को विनिमय में चारागाह भूमि नहीं दी जावें। यह परिपत्र जारी कर सभी उपखण्ड अधिकारी के न्यायालयों को

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

निर्देश जारी किया है कि धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत चारागाह की भूमि में से दुसरे के खेत में जाने के लिए 12 फुट से 30 फुट तक चौड़ाई का रास्ता दिया जा सकता है बशर्ते उस खातेदार को रास्ते में गई जमीन के क्षेत्रफल के बराबर जमीन चारागाह के लिए छोड़नी पड़ेगी। रेस्पोडेन्ट नं. 1 सुलतान का खेत खसरा नम्बर 848 चारागाह की भूमि से लगता ही है। इस कारण कानूनन खसरा नम्बर 886 में से खसरा नम्बर 848 वाके ग्राम भोड़की में आने जाने के लिए खसरा नम्बर 886 गढ़वालों के बास से आने जाने के लिए रास्ता दिया जा सकता है चाहे गये रास्ते की दुरी सुलतान के लिए ज्यादा है। विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट सहीराम द्वारा प्रस्तुत जवाबदेही को आलौच्य निर्णय पारित करने में नजर अंदाज किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने अपीलांट की भूमि में से आवेदक को विचाराधीन निर्णय से रास्ता प्रदान करने में विधिक त्रुटि की है।

आवेदक के पास खसरा नम्बर 848 में आने जाने के लिए चारागाह की भूमि में रास्ता मौजुद है उसके बावजूद भी नया रास्ता कायम करने का आदेश दिया गया है। विचारण न्यायालय ने वादी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार विधिक त्रुटि की है। आवेदक को उपरोक्त विवेचित परिपत्र के आधार पर चारागाह भूमि में से रास्ता दिये जाने हेतु प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रति प्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि आवेदक की भूमि खसरा नम्बर 848, 4128/848 में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 886 गैर मुमकिन चारागाह में अंकित डोटेड लाइन के रास्ते तक आवेदनकर्ता को रास्ता राजस्थान सरकार के परिपत्र राजस्व ग्रुप–6 विभाग कमांकः प. 2(63) राज–9/2014 दिनांक 29.09.2014 की पालना में उपलब्ध

भू-प्रबंध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

करवाया जावें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 14.06.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 6.5.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर